

भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

सार्वजनिक सूचना

अप्राधिकृत प्रयोक्ताओं द्वारा इंटरनेट अभिगम्यता के लिए वाई-फाई कनेक्टिविटी का दुरुपयोग रोकने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के निदेश दिया गया है कि वे इंटरनेट उपभोक्ताओं के लिए केंद्रीयकृत अधिप्रमाणन प्रक्रिया को आनलाइन कार्यान्वित करें।

वाई-फाई कनेक्टिविटी का प्रयोग कर रहे सभी इंटरनेट और ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं से अपेक्षा है कि वे इस सूचना के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर केंद्रीयकृत अधिप्रमाणन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अपने-अपने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के पास स्वयं का पंजीकरण करवा लें।

अधिक ब्योरे संबंधित दूरसंचार सेवा प्रदाताओं अथवा वेबसाइट www.dot.gov.in से प्राप्त किए जा सकते हैं।